

2018/00145

ACMS
for

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

प्रमाण सं 30/18 दि 16.5.18

सेवा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कुहड़गपुरा की जमाबन्दी

संवत् 2072-75 खाता संख्या 51, ~~51~~ में -

खाता सं. 51 खसरा सं. 150 खका 28/18 कीया

~~खसरा सं. 150 खका सं. 28/18 खका सं. 28/18~~

में मेरा नाम आहमद वल्ल खका कोम मुसलमान दलपदी

मेरा सही नाम आहमद वल्ल खका है।

अतः नाम सही करने का आदेश प्रामाणिक।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

आहमद

दिनांक : 14.5.18

एक दस्तावेज / क बपुला, उरुमपुरा
महोदय के पास आने के लिये
एक प्रमाण पत्र का सं 51 के महोदय को
उपर्युक्त खाते के खाता सं 18 के
आहमद वल्ल खका को जलका ली
यथा उक्त खाता आहमद वल्ल खका की जलका ली

हस्ताक्षर

15/5

ए. अ. अ. अ. अ.

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जार्जी खलद का ज्ञान के द्वारा सं. 150 22वा 2618 कीया में खलद पुत्र कलद
हो जार्जी द्वारा जलुत खास्य यथा कायार कार्ड (2584 4580 7567)
नाशानकार्ड (0330) एचए (25/23/179/343511) केबुला जार्जी का ली/अन
अहमद/आरदा व अहमद/अमदा के स्थान पर अहमद पुत्र अहमद बिना
जाना उचित है

[Signature]
1/11/2018
प० सिद्धा

[Signature]
1/11/2018

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

514

पटवारी हलका सिद्धा व 102 133वा की रिपोर्ट केबुला जार्जी -
अहमद ई. अहमद का यथा रजम अहमद ईमान अहमद 25 1000
272 2075 का 10 ई अहमद ई. अहमद अहमद ई. अहमद
अह. केरा-अशक कार्ड केबुला अहमद ई. अहमद अहमद ई. अहमद
अहमद ई. अहमद

आदेश

1/11/2018

तहसीलदार (भू.अ.) सिद्धा

तहसीलदार सिद्धा, 102 सिद्धा, पटवारी सिद्धा के ज्ञान जांच रिपोर्ट तथा
जार्जी द्वारा पेशा जार्जिन पर केसाथ दस्तावेज के कायार जार्जी
का जार्जिन पर कारामी तौर पर लोकार कर जार्जी का नाम "अहमद
पुत्र अहमद के स्थान पर अहमद नाम "अहमद पुत्र अहमद" अहमद
कले का आदेश दिया गया है। उपरोक्तानुसार शानन रिकॉर्ड में
अहमद अहमद कान्ही का अहमद सिद्धा से कलिया दिया
जार्जी पता वली जलल शुमार होकर दारिजल रूपत हो।



उप खण्ड अधिकारी

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन